न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

पीठासीन अधिकारी :– राकेश कुमार मीना (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 254/2024

वाद पत्र अं0 धारा 88 आर.टी.ए.

1. जसवन्त पुत्र रूपराम जाति जाट निवासी नगराना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ राज0.
2. प्रहलाद पुत्र रूपराम जाति जाट निवासी नगराना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ राज0.

–वादी

बनाम्

1. रूपराम पुत्र हुकमाराम जाति जाट निवासी नगराना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ राज0
2. कौशल्या पुत्री रूपराम जाति जाट निवासी नगराना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ राज0.
3. तहसीलदार राजस्व संगरिया

–प्रतिवादीगण

उपस्थित :–1. श्री सुनील टांडी –वकील वादीगण

2. श्री प्रदीप जाखड –वकील प्रति 1,2

निर्णय

दिनांक :– 8.7.2024

वादीगण जसवन्त व अन्य ने प्रतिवादीगण के विरूद्ध यह राजस्व वाद बाबत् घोषणा के तहत दिनांक 03–06–2024 को इस न्यायालय में पेश किया कि वादी व प्रतिवादीगण का पंजीयन पता व्यवहार प्रकिया सहिंता के प्रावधानों के अनुसार वही है जो वादपत्र के शीर्षक में दर्शाया गया है। कि वादी एव प्रतिवादी स.1आपस मे सयुक्त परिवार कें सदस्य है प्रतिवादी स 1 वादीगण के पिता है व प्रति स.2 वादीगण कि सग्गी बहिन है प्रतिवादी स 1 के नाम से तहसील संगरिया के चक न 13 एस.बी.एन के ज.स2070–2073के खाता स69/50 मे 927/8069 हिस्सा अर्थात 0.2317है व चक न 14 एस.बी.एन कि ज.स 2070–73 के खाता स 53/38 मे197/17208अर्थात 0.4931है तथा चक न.6.एन.जी.आर के ज.स2072–75 के खाता स.193/54 मे 569/11385 हिस्सा अर्थात 0.1896 है कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है कि प्रतिवादी स 1 वादीगण का पिता व प्रति.स.2 वादीगण कि सग्गी बहीन है जो एक ही सयुक्त परिवार के सदस्य है कि वाद पत्र की चरण स2 मे वर्णित भूमि वाद व प्रतिवादीगण के मध्य घरू बटवारनामा आपसी सहमति व रिश्तेदारो ने करवा दिया है उक्त बंअवारानामा के रोज से ही वादी व प्रतिवादीगण बंटवारानामा मे प्राप्त कृषि भूमि पर काबिज होकर बिना किसी बाधा के फसल करते आ रहे है प्रतिवादीगण ने उक्त कृषि भूमि मे जो विरास्तन हक व हिस्सा बनता था उसको अपने पास नही रखना चाहते है इसलिए अपने हक व हिस्सा का मोखिक रूप से अपने पुत्र /भाईयो वादीगण के पक्ष मे .ब.हि.ब कर दिया है कब्जा काश्त बाबत आपस मे काई विवाद नही है। उक्त गण को उक्त कृषि भूमि मे जन्मजात विरास्तन हक व हिस्सा बनता है उक्त कृषि भूमि वादी दादा व प्रतिवादी स 1 पिता हुकमाराम से विरासतन मे प्राप्त हूई है जिसका वादी व प्रतिवादीगण ने आपस मे घरू बटवारा कर लिया है उक्त बटवारानामा के अनुसार ही वादी वाद पत्र की चरण स 3 मे वर्णित कृषि भूमि पर काबिज होकर बिना किसी बाधा के काश्त करते आ रहे है परन्तु उक्त कृषि भूमि प्रतिवादी स 1 के नाम होने के कारण वादी के हक व हकूक पर बूरा प्रभाव पड रहा है तथा सदैव झगडा होने का अन्देशा बना रहता है इसी कारण वादी उक्त कृषि भूमि का राजस्व रिकार्ड मे अपने नाम की घोषणा करवाना चाहते है कि वादी को उक्त कृषि भूमि अपने दादा हुकमाराम से विरास्तन मे प्राप्त हूई थी जिसमे वादी का जन्मजात विरास्तन हक व हिस्सा बनता है वादी एव प्रतिवादीगण के मध्य घरू बटवारानामा हो ... के मुताबिक वादी काबिज होकर बिना किसी बाधा के फसल काश्त करते आ रहे है उक्त कृषि भूमि प्रतिवादी स 1 कके नाम होने के कारण वादी को भारी परेशानी का सामना करना पड रहा है इसलिए वादी अपने नाम की घोषणा करवाने के हक मुस्तहक व दावेदार है कि वादी द्वारा प्रतिवादीगण से उन्है वाद पत्र की चरण स 4 मे वर्णित तथ्य अनुसार कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित करते रहै परन्तु कल उन्होने ऐसा करने से स्पष्ट इनकार कर दिया बस यही वाद कारण है कि वादी को उक्त कृषि भूमि का घरू बंटवारानामा व कब्जा काश्त के मुताबिक वादी को खातेदार काश्तकार घोषित नही किया गया तो वादी को कभी भी न पुरा होने वाला नुकसान होगा प्रथम दृष्टया मामला सुविधा का सन्तुलन वादी के पक्ष मे है कि प्रति स 3 को लेण्ड हालडर होने के कारण पक्षकार के रूप मे संयोजित किया गया है उनसे सीधे रूप से कोई अनुताष नही चाहा गया है। कि वाद पत्र माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार को

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2024.08.06 13:25:09 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एव उपखण्ड अधिकारी संगरिया

चित न्यायशुल्क पर प्रस्तुत है लिहाजा वाद वादी पेश कर अर्ज है कि वाद वादी निम्न र से डिग्री फरमाया जावे कि इस आशय की घोषणा फरमाई जावे कि वादीगण को वाद की चरण स 4 के अनुसार वादीगण को चक न 13 एस.बी.एन के खाता स 69/50 मे 0.1544है व14एस.बी.एन के खाता स.53/38 मे 0.3287है व 6एन.जी.आर के खाता स.193/54 मे 0.1264है कृषि भूमि का ब.हि.ब खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर वादीगण के पिता प्रति.स1 रूपराम का हिस्सा उसी अनुसार कम किया जाकर वादीगण का नाम अंकित किया जावे।

उक्त तथ्यों के आधार पर वादपत्र पेश होने पर सीगेदार की रिपोर्ट के बाद दावा दर्ज रजिस्टर किया गया।प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं.1व2 ने हाजिर अदालत आकर सहमति का जवाव दावा प्रस्तुत किया प्रतिवादी सं.3का तहसीलदार राजस्व संगरिया का जवाव दावा प्रस्तुत हुआ जो शामिल प्रत्रावली किया गया।दोनों पक्षों में विवाद न होने के कारण तनकीयात न कायम कर वकील वादी को साक्ष्य वादी हेतू अवसर दिया गया। साक्ष्य वादी मे वादी स1 ने शपथ पत्र अं आ18नियम 4 पेश किया गया जिसमें वादपत्र के तथ्यों को दर्षाया गया।तथा जं.बं. चक न13एस.बी.एन के खाता स69/50,14एस.बी.एन के खाता स53/38व 6एन.जी.आर के खाता स193/54कृषि भूमि जो प्रदर्ष 1ता3 हैं।साक्ष्य प्रतिवादी में प्रतिवादीगण द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करना चाहते हैं।इसलिए साक्ष्य प्रतिवादी बंद की गई।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। बहस में वादी अभिभाषक ने कथन किया इस आशय की घोषणा फरमाई जावे कि वादीगण को वाद पत्र की चरण स4 के अनुसार वादीगण को चक न 13एस.बी.एन के खाता स69/50 मे 0.1544है व 14एस.बी.एन के खाता स53/38मे0.3287है व चक न6 एन.जी.आर के खाता स.193/54 मं0.1264है कृषि भूमि का ब.हि.ब खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर वादीगण के पिता प्रति.स 1 रूपराम का हिस्सा उसी अनुसार कम किया जाकर वादीगण का नाम अंकित किया जावे प्रतिवादी के वकील द्वारा वकील वादी के कथनो कोई एतराज नहीं किया गया। बहस में वादी के वादपत्र डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। साक्ष्य के समर्थन में वादी ओर प्रस्तुत दस्तावेज प्रदर्श 1 ता 3 किये गए बहस में वकील प्रतिवादी स 1 व 2 द्वारा वादी द्वारा प्रस्तुत किए जमाबन्दी प्रदर्श दस्तावेज 1 ता 3 का विरोध नही किया। प्रतिवादी सं. 1 व 2 ने हाजिर अदालत आकर सहमति का जवाब दावा पेश हुआ। प्रश्नगत भूमि विरासतन भूमि हैं इसलिए वादी का वादपत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

–:: क्रियात्मक आदेश ::–

अतः उक्त विवेचन के आधार पर वादीगण का वाद पत्र डिक्री किया जाता हैं इस आशय की घोषणा फरमाई जाती है कि वादीगण को वाद पत्र की चरण स 4 के अनुसार वादीगण को चक न 13 एस.बी.एन के खाता स 69/50 मे 0.1544है0 व 14 एस.बी.एन के खाता स 53/38 मे 0.3287 है0 व चक न 6 एन.जी.आर के खाता स 193/54 मे 0.1264है कृषि भूमि का ब.हि.ब खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व उक्त खातो मे वादीगण के पिता प्रतिवादी स 1 रूपराम का हिस्सा उसी अनुसार कम किया जाकर वादीगण का नाम अंकित किया जाता है पर्चा डिक्री अलग से जारी होकर पत्रावली फैसला शुमार नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो खर्चा पक्षकारान अपना–अपना अलग वहन करेगे।

निर्णय आज दिनांक 8.7.2024 .....को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2024.08.06 16:25:09 IST
Reason: SelfAttested

(राकेश कुमार मीना)
उपखण्ड अधिकारी संगरिया

डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई
अ.आदेश 20 नियम 6–7 व्या.प्रक्रिया संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

पीठासीन अधिकारी :– राकेश कुमार मीना (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या :– 254/2024
वाद पत्र अं.धारा :– 88 आरटीए

1. जसवन्त पुत्र रूपराम जाति जाट निवासी नगराना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ राज0.
2. प्रहलाद पुत्र रूपराम जाति जाट निवासी नगराना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ राज0.

–वादी

बनाम्

1. रूपराम पुत्र हुकमाराम जाति जाट निवासी नगराना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ राज0
2. कौशल्या पुत्री रूपराम जाति जाट निवासी नगराना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ राज0.
3. तहसीलदार राजस्व संगरिया

–प्रतिवादीगण

दिनांक :– 8.7.2024

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ सहायक क्लेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया के समक्ष वास्ते इन्फिसाल कत्तई रोबरू हमारे बहाजरी श्री सुनील टांडी वकील वादीगण मिन जामिन मुदई व श्री प्रदीप जाखड वकील प्रतिवादी सं. 1 व 2 मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व यह डिक्री दी जाती है इस आशय की घोषणा फरमाई जाती है कि वादीगण को वाद पत्र की चरण स 4 के अनुसार वादीगण को चक न 13 एस.बी.एन के खाता स 69/50 मे 0.1544है0 व 14 एस.बी.एन के खाता स 53/38 मे 0.3287 है0 व चक न 6 एन.जी.आर के खाता स 193/54 मे 0.1264है कृषि भूमि का ब.हि.ब खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व उक्त खातो मे वादीगण के पिता प्रतिवादी स 1 रूपराम का हिस्सा उसी अनुसार कम किया जाकर वादीगण का नाम अंकित किया जाता है

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेगे

नोटः– **बैंक ऋण फक होने के बाद इन्तकाल दर्ज किया जावें।**

निज...X...नल...X...मुब्लिक...X...निल...X...बाबत...X...निल...X...खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीखा वसूलयाबी तक...X...अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 8.7.2024 जारी किया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2024.08.06 13:25:09 IST
Reason: SelfAttested

(राकेश कुमार मीना)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी संगरिया